

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 690

दिनांक 15/05/25

प्रार्थी:-

1. जगदीश पुत्र भंवराराम  
जाति भील,  
निवासी मानासर (उपरला)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. हरलाल पुत्र खेता, जाति भील 2. हेमा पुत्र लाखा 3. हडुमान  
पुत्र नथा, जाति जाट, निवासी मानासर (उपरला)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 182/2024

दिनांक : 15.05.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र उपरला के मौजा मानासर के खेत खसरा सं. 386/29 रकबा 02.9137 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।


आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/691 to 694


प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी जगदीश
3. विप्रार्थीगण हरलाल वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमन्ना/धनाऊ

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन ok

दिनांक 15/05/25



  
(कुसुमलता चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन ok